



(ई-मेल के माध्यम से)

दिनांक: 31.10.2023

फा.सं. NACIN/TRNG/808/2023-I-S-TRNG

आदरणीय महोदय/महोदय,

विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' एवं 'बी' अधिकारियों के लिए "उभरती तकनीक" विषय पर दिनांक 07.12.2023 & 08.12.2023 को प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (NACIN), फरीदाबाद उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 07.12.2023 और 08.12.2023 को "उभरती तकनीक" विषय पर सीबीआईसी के समूह 'ए' और 'बी' अधिकारियों के लिए एक ऑफलाइन प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सिविल सेवकों के बीच और नागरिक सेवाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में उभरती तकनीक की पहचान करने के लिए सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाना है।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' एवं 'बी' के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जाये।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. नामांकन दिनांक 24 नवम्बर, 2023 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी- istnac-in-faridabad@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

4. प्रतिभागियों को कृपया सलाह दी जाती है कि वे आईएसटी अनुभाग एनएसीआईएन फरीदाबाद द्वारा नामांकन की पुष्टि के बाद ही अपना आवागमन की व्यवस्था करे/ कार्यमुक्त हों।

5. उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्रीमती विक्रान्त राठी, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9999011815) एवं श्री अखिलेश मीना, अपर सहायक निदेशक (Mob. 8586863515) से संपर्क किया जा सकता है।

6. नामांकन पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय,  
(अर्जुन बैनेर्जी)  
उप निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआईसी के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट